

Examrace

भाग-1 नागरिकता-अनुच्छेद 5 & 11, नागरिकता अधिनियम 1955 (Part-1: Citizenship-Article 5 – 11, Citizenship Act, 1955) for Competitive Exams

Glide to success with Doorsteptutor material for CTET-Hindi/Paper-2 : **get questions, notes, tests, video lectures and more-** for all subjects of CTET-Hindi/Paper-2.

अनुच्छेद 5- संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में “अधिवास” है तथा

- उसका जन्म भारत में हुआ हो या
- उसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं उसने पांच वर्षों तक निवास किया हो।

अनुच्छेद 6- पाक से भारत को प्रवजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा-यदि

- वह या उसके माता-पिता में से कोई जन्मा था।
- 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था।

अनुच्छेद 7- भारत से पाकिस्तान को प्रवजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद।

अनुच्छेद 8- भारतीय मूल (उदवित रुक्षम्।डऋछ।डम्द्रुऋक्षम्।डऋछ।डम्द्रुरू भव) का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा।

अनुच्छेद 9- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 10- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद 11- नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास।

नागरिकता अधिनियम 1955 Citizenship Act 1955

नागरिकता समाप्त करना-

ढवस बसेत्रष्कमबपउंसष्ट्रढसपझ स्वेच्छा-त्याग

- पर्थवसन (दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर)
- देशद्रोह आदि

नागरिकता प्राप्त करने की विधि- (नागरिकता अधिनियम 1955)

- जन्म द्ारा

- वंशानुगत द्वाारा
- पंजीकरण
- देशीयकरण
- अर्जित क्षेत्र

ढवस बसेत्रष्कमबपउंसष्णढसपझ **जन्म से**-यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा।

- **वंशानुगत द्वाारा**- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा।
- **पंजीकरण**-भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है।
- **देशीयकरण**-यदि कोई देशीयकरण के द्वाारा यहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो-
- सक्षम शक्ति-अपने बारे में सोचने की क्षमता
- पागल न हो
- भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें।
- भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो।
- जिस देश का वह है उस देश की नागरिकता लागू हो चुकी हो।
- उस देश में भी देशीयकरण विद्यमान हो
- वह कम से कम भारत में 12वर्षों तक निवास किया हो
- **अर्जित क्षेत्र**- यदि किसी नये भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।